



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc2.lko-mef@nic.in, goimofrolko@gmail.com

पत्र सं०: 8बी/यू0पी0/04/177/2023/एफ.सी. 1447

दिनांक: 13.12.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/TRANS/32650/2018

विषय: उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पो० लि० वाराणसी द्वारा 400 के०वी० अनपरा-वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28 हे० आरक्षित वनभूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048 हे० आरक्षित वनभूमि, सोनमद्र वन प्रभाग में 15.79 हे० आरक्षित वनभूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51 हे० आरक्षित वनभूमि एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग में 54.652 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल प्रभावित 319.28 हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-159/81-2-2023-800(189)/2023, दिनांक 20.07.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per the KML file area proposed for diversion is 324.34 ha, which does not match the proposal area. This needs rectification.
2. The progress of CA in earlier approval letter dated 01.11.1993 needs to be submitted.
3. Dwarf plantation needs to be proposed, accordingly scheme needs to be submitted.
4. Area proposed seems to be part of Kaimur Wildlife Sanctuary. Approval of SCNBWL needs to be submitted.
5. Since the proposal of renewal is submitted after a gap of 4 years, it accounts for violation of FCA. Detailed report regarding the same needs to be furnished by the State Government.
6. Present Monitoring status of CA plantation needs to be submitted.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, ३०५०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, ३०५०।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पशुपति क्षेत्र), कागपुर।
4. प्रभागीय वनधिकारी रेनुकूट, ओबरा, सोनमद्र एवं मीरजापुर।
5. अधिपारी अभियंता, विद्युत प्रेषण एण्ड-द्वितीय-14/74ए 2, अमरापुर, वाराणसी।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश प्रभावली।

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)